अध्यादेश संख्या – 31

स्कूल बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं प्रकार्य

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (संशोधित 2014) की धारा 28(1)(0) सहित परिनियम 15(3)–(4)]

1. स्कूल बोर्ड के सदस्य : प्रत्येक संकाय का अपना एक स्कूल बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

   क. अधिष्ठाता स्कूल बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

   ख. संकाय के अंतर्गत आने वाले विभागों के अध्यक्ष;

   ग. संकाय के अंतर्गत आने वाले केंद्रों के निदेशक;

   घ. संकाय के सभी प्रोफ़ेसर;

   ङ. संकाय के प्रत्येक विभाग / केंद्र से रोटेशन से वरिष्ठता–क्रम के अनुसार नियुक्त एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर;

   च. संकाय के प्रत्येक विभाग / केंद्र से रोटेशन से वरिष्ठता–क्रम के अनुसार नियुक्त एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर;

   छ. शैक्षणिक परिषद् द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और उन विभागों/केंद्रों से संबंधित हों जो उस स्कूल में शामिल हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा कि किसी एक विषय से एक से अधिक विशेषज्ञ शामिल नहीं होना चाहिए।

   ज. संबंधित या संयोजित स्कूल/विषय के शिक्षकों में से कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक।

2. **कार्यकाल :** पदेन सदस्य के अतिरिक्त स्कूल बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और वे पुनर्नामांकन के योग्य होंगे।

3. शक्तियाँ एवं प्रकार्य : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् के समग्र निर्देशन के साथ–साथ स्कूल बोर्ड के निम्नलिखित प्रकार्य होंगे:

   क. स्कूल के विभागों/केंद्रों के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और प्रक्रिया निर्धारित करना;

   ख. स्कूल के विभागों/केंद्रों के अध्यापन, मूल्यांकन और शोध–कार्य का संयोजन करना;

   ग. विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों, विभिन्न शोध उपाधियों के विषय और कोर्स वर्क का अनुमोदन करना;

   घ. बोर्ड ऑफ़ स्टडीज द्वारा संस्तुत शोध की विभिन्न उपाधियों के विषय एवं शोध–उपाधियों की अन्य जरुरतों पर विचार और अनुमोदन;

   ङ. स्कूल के किसी विभाग/केंद्र के दायरे में न आने वाले विषय या क्षेत्र में अध्यापन या शोध–कार्य का आयोजन करने के लिए समितियों का गठन और इन समितियों के कार्य का निर्देशन ;

   च. शैक्षणिक पदों के सृजन एवं उन्मूलन के लिए शैक्षणिक परिषद को संस्तुति प्रदान करना और विभागों/केंद्रों या उपर्युक्त क्लॉज (ई) के तहत निर्मित समितियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

   छ. अध्यापन एवं शोध के स्तर को उन्नत बनाने वाली योजनाओं पर विचार करना एवं इस संबंध में शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना;

   ज. संकाय के आंतरिक शोध–कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रोत्साहन देना और शोध–कार्यों से संबंधित रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद में प्रस्तुत करना;

   झ. परामर्श गतिविधियाँ एवं ट्यूटोरियल्स (CAT), असाइन्मेंट, प्रश्नोत्तर, सत्रीय कार्य, मध्यावधि एवं सत्रांत परीक्षा के साथ–साथ व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (CCIA) के लिए सामान्य नियम एवं दिशा निर्देश तैयार करना;

   ञ. शोध उपाधियों के लिए उत्तीर्ण एवं ऐसी उपाधियों को प्राप्त करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने की संस्तुति शैक्षणिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना;

   ट. संकाय के विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार करना एवं उचित कदम उठाना;

   ठ. अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश द्वारा निर्धारित अन्य सभी प्रकार्यों को पूरा करना एवं कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट सभी मामलों पर विचार करना;

ड. समय–समय पर बोर्ड जैसा भी निर्धारित करता है, उसके तहत सामान्य या विशिष्ट शक्तियां अधिष्ठाता, बोर्ड के किसी सदस्य या किसी समिति को सौंपना।

4. **स्कूल बोर्ड की बैठक :**

क. बोर्ड एक शैक्षणिक वर्ष में कम–से–कम दो, प्रत्येक सत्र में एक सामान्य बैठकों का आयोजन करेगा;

ख. अधिष्ठाता अपनी पहल पर या कुलपति की सलाह पर या बोर्ड के कम–से–कम पांचवें भाग के सदस्यों के लिखित निवेदन पर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

5. **गणपूर्ति (कोरम) :**

बोर्ड की बैठक का कोरम, बोर्ड के कुल सदस्यों का एक–तिहाई होगा।

6. **बैठक की सूचना :**

क. बोर्ड की किसी सामान्य बैठक की सूचना बैठक के लिए निर्धारित दिन के कम–से–कम दस दिन पहले जारी करनी होगी।

ख. अधिष्ठाता अल्पकालिक सूचना पर भी बोर्ड की आकस्मिक बैठक आयोजित कर सकता है लेकिन यह सूचना बैठक के कम–से–कम तीन दिन पहले देनी होगी।

7. **आचार संहिता :** स्कूल बोर्ड के बैठक के आचरण के नियम इस संबंध में निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

ORDINANCE NO. 31

CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE SCHOOL BOARD

[Statute 15(3) & (4) read with Section 28(1)(o) of the Central Universities Act 2009 (Amended 2014)]

1. **Composition of the School Board:** Each School shall have a School Board which shall comprising the following members:

a. Dean of the School who shall be the *Chairperson*;

b. Head(s) of the Department(s) in the School;

c. Director(s) of the Centre(s) in the School;

d. All Professors in the School;

e. One Associate Professor from each Department/Centre in the School to be appointed by rotation in order of seniority from each Department/Centre in the School;

f. One Assistant Professor from each Department/Centre in the School to be appointed by rotation in order of seniority from each Department/Centre in the School;

g. Three experts not in the service of the University having special knowledge of the subject or subjects concerned, around which the Departments/Centres in the School are organised, nominated by the Academic Council;

Provided that not more than one person per subject shall be nominated.

h. Two teachers of the University to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the Allied & Cognate Schools/Discipline.

2. **Terms of Office:** The term of the Office of the members other than the *Ex-Officio Members* shall be three years and they shall be eligible for re-nomination.

3. **Powers and Functions:** The School Board shall, subject to the overall supervision of the Academic Council of the University, perform the following functions:

a. To prescribe the qualifications for and procedures for admission of candidates to the various Programmes of Study in the Departments/Centres of the School;

b. To co-ordinate the teaching, evaluation and research work in the Departments/Centres in the School;

c. To approve the syllabus of various programmes of study, and topics and course work of various research degrees;

d. To consider and approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees, as recommended by the Board of Studies;

e. To constitute committees to organise the teaching and research work in subjects or areas which do not fall within the sphere of any Department/Centre in the School and to supervise the work of such committees;

f. To recommend to the Academic Council the creation or abolition of teaching posts, and to consider proposals received from the Departments /Centres or committees mentioned in clause (e) above;

g. To consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit proposals in this regard to the Academic Council;

h. To promote and review research within the School and to submit reports on research to the Academic Council;

i. To frame general rules and guidelines for the evaluation of comprehensive continuous internal assessment (CCIA) including the Counselling Activities & Tutorials (CAT), assignments, quizzes, sessional work, Mid-Term and End-Semester Examinations;

j. To recommend to the Academic Council, the award of research degrees to candidates who have been found qualified and fit to receive such degrees;

k. To consider and act on any proposal regarding the welfare of the students of the School;

l. To perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes and the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice-Chancellor;

m. To delegate to the Dean, or to any other member of the Board or to a Committee such powers, general or specific, as may be decided upon by the Board from time to time.

4. **Meetings of the School Board:**

a. The Board shall hold at least two ordinary meetings in an Academic year, one in each semester;

b. The Dean may convene special meetings of the Board at his/her own initiative or at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least one-fifth of the members of the Board.

5. **Quorum:** The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of its total members.

6. **Notice:**

a. Notice for any Ordinary meeting of the Board shall be issued at least 10 days before the date fixed for the meetings.

b. The Dean may convene emergency meeting of the Board at short notice but not without at least 3 days' notice before the meeting.

Rules of Business: Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.